हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 30 मार्च, 2026

संख्याः वि0स0–विधायन–विधेयक/1–11/2026.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत **भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 4)** जो आज दिनांक 30 मार्च, 2026 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
(यशपाल)
सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा।

————————

2026 का विधयेक संख्यांक 4.

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधयेक, 2026

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 47–अ का संशोधन।
3. अनुसूची I–क का संशोधन।

————————————

2026 का विधयेक संख्यांक 4.

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के सत्तहतरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम होः–

1. संक्षिप्त नाम.––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2026 है।

2. धारा 47–अ का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है), की धारा 47–अ की उप–धारा (3) में "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

3. **अनूसूची I –क का संशोधन.––**मूल अधिनियम की अनुसूची I–क के अनुच्छेद 31 के खण्ड(ख) के सामने स्तम्भ संख्या 3 के अंत में चिन्ह "।" के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु रक्त संबंध से अन्यथा पुरूष और महिला के मध्य असमान बाजार मूल्य की संपत्तियों के विनिमय की दशा में, असमान मूल्य के अंतर की राशि पर, उस व्यक्ति, जिसके पक्ष में उच्चत्तर मूल्य की संपत्ति हस्तांतरित की गई है, को अनुच्छेद 23 (हस्तांतरण) के अनुसार लागू दर पर स्टाम्प शुल्क देय होगा।''।

————————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47–अ की उपधारा (3), किसी भी दस्तावेज में स्टाम्प शुल्क के न्यून–मूल्यांकन के मामलों में कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन वर्ष की परिसीमा प्रदान करती है।

यह देखा गया है कि स्टाम्प शुल्क के न्यून–मूल्यांकन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य प्रायः तीन वर्ष की उक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् ही अधिकारियों के संज्ञान में आते हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार स्टाम्प शुल्क की कमी की राशि की वसूली करने में असमर्थ रहती है और राज्य कोष को हानि होती है। इस विवाद्यक के समाधान हेतु धारा 47–अ की उपधारा (3) में प्रदत्त तीन वर्ष की परिसीमा अवधि को बढ़ाकर दस वर्ष तक करने का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची I–क, अनुच्छेद 23 (हस्तांतरण) के अधीन महिलाओं के लिए अस्सी लाख तक के लेन–देन पर रियायती दर से स्टाम्प शुल्क प्रदान करती है। तथापि, अनुच्छेद 31(ख) के अंतर्गत पुरुष और महिला व्यक्तियों (जो रक्त संबंधी नहीं हैं) के बीच संपत्तियों के विनिमय के मामले में स्टाम्प शुल्क की लागू दर को लेकर भ्रम की स्थिति है। इस अस्पष्टता को दूर करने हेतु अनुच्छेद 31(ख) में एक उपबंध जोड़ने का प्रस्ताव है, जिससे स्टाम्प शुल्क की लागू दर स्पष्ट हो सके।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जगत सिंह नेगी)
प्रभारी मन्त्री।

शिमलाः
तारीख.....2026

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 4 of 2026.

THE INDIAN STAMP (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2026

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 47-A.
3. Amendment in SCHEDULE I-A.

Bill No. 4 of 2026.

THE INDIAN STAMP (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2026

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. 2 of 1899) in its application to the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2026.

2. Amendment of section 47-A.—In section 47-A of the Indian Stamp Act, 1899 (hereinafter referred to as the "Principal Act"), in sub-section (3), for the words "three years", the words " ten years" shall be substituted.

3. Amendment of SCHEDULE I-A.—In SCHEDULE I-A of the principal Act, in article 31, in clause (b), against column No. 3, at the end, for the sign "." the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that in case of an exchange of properties between a male and a female not related by blood, the stamp duty on the differential amount of the exchanged properties having unequal market value, shall be levied as per article 23 (Conveyance), and at the rate applicable to the person in whose favour the property of higher value is transferred.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The sub-section (3) of section 47-A of Indian Stamp Act 1899, as applicable to the State of Himachal Pradesh provides a limitation of three years from date of registration of any instrument to initiate proceedings in cases of undervaluation of stamp duty.

It has been observed that material facts regarding under valuation of Stamp duty often come to the notice of authorities after the expiry of said period of three years, resulting in State Government's inability to recover deficient amount of Stamp Duty and consequent loss to State exchequer. To address the issue the three years limitation period provided under sub-section (3) of Section 47-A is proposed to be enhanced to ten years.

Further, at present the Schedule I-A of the Indian Stamp Act, 1899, as applicable to the State of Himachal Pradesh provides concessional rate of Stamp Duty for female under article 23 (Conveyance) for transaction up to eighty lakh. However, in case of exchange of properties between male and female persons not related by blood under article 31(b) of Schedule I-A, there is

confusion regarding the applicable rate of Stamp Duty. In order to remove the ambiguity a proviso is proposed in article 31(b) to clarify applicable rate of Stamp Duty.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAGAT SINGH NEGI)
Minister-in-Charge.

SHIMLA:

The , 2026.